Frequently Asked Question & Answere

प्रश्न 1. मैंने नगर विकास प्रन्यास द्वारा जारी आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड का क्रय किया है, वह नगर विकास प्रन्यास के रिकार्ड में मेरे नाम किस प्रकार दर्ज हो सकता है?

उत्तर : इस हेतु सर्वप्रथम आपको SSOID पर login कर अपने भूखण्ड की यूनिक प्रोपर्टी आईडी जनरेट करने के लिए आवेदन करना होगा। प्रोपर्टी आईडी जनरेट होने के पश्चात नामान्तरण के लिए आवेदन कर, ऑनलाइन ही राशि जमा कर E-sign द्वारा जारी नामान्तरण पत्र प्राप्त कर सकते है।

प्रश्न 2. मैं मेरी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन कराकर ले–आउट प्लान अनुमोदित कराना चाहता हूँ । आवेदन कैसे करूँ ?

उत्तर : इस हेतु आप नगर विकास न्यास कार्यालय में आवेदन कर सकते है आवेदन करने की एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी न्यास कार्यालय में उपलब्ध है ।

प्रश्न 3. नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटित भूखण्ड पर निर्माण करना चाहता हूँ। परमिश्न के लिए क्या करू?

उत्तर : इस हेतु आप नगर विकास न्यास के कार्यालय में प्लाट स्वामित्व के दस्तावेजों द्वारा भूखण्ड निर्माण के लिये आवेदन कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी न्यास कार्यालय में प्राप्त कर सकते है।

प्रश्न 4. दस्तावेज/मानचित्र की प्रति कैसे प्राप्त करें?

उत्तर : नगर विकास न्यास की रिकोर्ड शााखा से संबंधित दस्तावेज/मानचित्र की प्रति के लिये नगर विकास न्यास में आवेदन कर, प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते है ।

प्रश्न 5: लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए क्या करे ?

उत्तर : इस हेतू आप नगर विकास प्रन्यास की वेबसाइट पर login कर अपने भुखण्ड की यूनिक प्रोपर्टी आईडी जनरेट करने के लिए आवेदन करना होगा । प्रोपर्टी आईडी जनरेट होने के पश्चात लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर , ऑनलाइन ही राशि जमा कर E-sign द्वारा जारी नामातंरण पत्र प्राप्त कर सकते है ।

(चैनाराम चौधरी)
सचिव
नगर विकास न्यास, बाड़मेर